

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस**

प्रकरण सं० : 3/2025

पालाराम पुत्र लालचन्द निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादी

**दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुखानी**

**अन्तर्गत धारा 88 राज०काप्र०अधि० 1955**

**उपस्थिति : वकील श्री मुनिल वैनिवाल: वादी**

**राजपरोकार : प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांक : 16.07.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जे०एस०एल० के खाता सं० 122/105 के मु०नं० 225 के कि०नं० 9, 12, 13, 18, 19 कुल किता 5 की 1.265 है० में वादी के नाम 1/3 हिस्सा, चक 9 जे०एस०एल० के खाता संख्या 123/291 के मु०नं० 215 के कि०नं० 21, मु०नं० 216 के कि०नं० 25, मु०नं० 223 के कि०नं० 4 ता 7, 13 ता 18, 22, 23, 24 कुल किता 15 की 3.7950 है० में वादी का 1/6 हिस्सा, चक 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 95/86 के मु०नं० 105 के कि०नं० 10 ता 12, 19 ता 22, मु०नं० 138 के कि०नं० 1, 2, 9, 10/1, 10/2 कुल किता 12 की 2.7830 है० में वादी का 1/4 हिस्सा, चक 11 जे०जी०डब्ल्यू० के खाता संख्या 144/175 के मु०नं० 124 के कि०नं० 11, 12, 19, 20, 21, 22, मु०नं० 125 के कि०नं० 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु०नं० 130 के कि०नं० 5, मु०नं० 131 के कि०नं० 1, 2 कुल किता 32 की 6.9090 है० में वादी का 1/42 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी का नाम धर्मपाल पुत्र लालचन्द निवासी जोगीवाला दर्ज है जो वादभूमि में वादी का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही नाम पालाराम पुत्र लालचन्द निवासी जोगीवाला है। वादी के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, में वादी का नाम पालाराम पुत्र लालचन्द चला आ रहा है।

उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित वादभूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम पालाराम पुत्र लालचन्द निवासी जोगीवाला करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। साक्ष्य वादी में पालाराम पुत्र लालचन्द निवासी जोगीवाला के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा 9 जे०एस०एल० सम्वत 2076-79 खाता सं० 122/105 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा 9 जे०एस०एल० सम्वत 2076-79 खाता सं० 123/291 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा 10 जे०एस०एल० सम्वत 2073-76 खाता सं० 95/86 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मौजा 11 जे०जी०डब्ल्यू० सम्वत 2075-78 खाता सं० 144/175 प्रदर्श 4, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जोगीवाला प्रदर्श 5, चित्रप्रति आधार कार्ड पालाराम प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति राशन कार्ड प्रदर्श 7ए, चित्रप्रति मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श 8ए, चित्रप्रति जनाधार कार्ड प्रदर्श 9ए, प्रदर्शित किये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की वहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व शपथ पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 9 जे०एस०एल० के खाता सं० 122/105 के मु०नं० 225 के कि०नं० 9, 12, 13, 18, 19 कुल किता 5 की 1.265 है० में वादी के नाम 1/3 हिस्सा, चक 9 जे०एस०एल० के खाता संख्या 123/291 के मु०नं० 215 के कि०नं० 21, मु०नं० 216 के कि०नं० 25, मु०नं० 223 के कि०नं० 4 ता 7, 13 ता 18, 22, 23, 24 कुल किता 15 की 3.7950 है० में वादी का 1/6 हिस्सा, चक 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 95/86 के मु०नं० 105 के कि०नं० 10 ता 12, 19 ता 22, मु०नं० 138 के कि०नं० 1, 2, 9, 10/1, 10/2 कुल किता 12 की 2.7830 है० में वादी का 1/4 हिस्सा, चक 11 जे०जी०डब्ल्यू० के खाता संख्या 144/175 के मु०नं० 124 के कि०नं० 11, 12, 19, 20, 21, 22, मु०नं० 125 के

कि०नं० 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु०नं० 130 के कि०नं० 5, मु०नं० 131 के कि०नं० 1, 2 कुल किता 32 की 6.9090 है० में वादी का 1/42 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला दर्ज है जबकि वादी का सही नाम पालाराम पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला है। वादी ने अपना वाद साबित करने के लिए साक्ष्य में दस्तावेज पेश किये जो पालाराम पुत्र लालचन्द्र के नाम से ही है तथा सहखातेदार नत्थुराम पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला, बलवन्त सिंह पुत्र लिखमाराम निवासी जोगीवाला, पूनमचन्द्र पुत्र लिखमाराम निवासी जोगीवाला, सतवीर सिंह पुत्र लिखमाराम निवासी जोगीवाला, पृथ्वीसिंह पुत्र लालचन्द्र जाति खाती निवासी जोगीवाला, सुरेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी जोगीवाला के शपथ पत्र पेश किये। पटवारी पटवार हल्का जोगीवाला व तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./25/339 दिनांक 02.05.2025 के मुताबिक नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9 जे०एस०एल० के खाता सं० 122/105 के मु०नं० 225 के कि०नं० 9, 12, 13, 18, 19 कुल किता 5 की 1.265 है० में वादी के नाम 1/3 हिस्सा, चक 9 जे०एस०एल० के खाता संख्या 123/291 के मु०नं० 215 के कि०नं० 21, मु०नं० 216 के कि०नं० 25, मु०नं० 223 के कि०नं० 4 ता 7, 13 ता 18, 22, 23, 24 कुल किता 15 की 3.7950 है० में वादी का 1/6 हिस्सा, चक 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 95/86 के मु०नं० 105 के कि०नं० 10 ता 12, 19 ता 22, मु०नं० 138 के कि०नं० 1, 2, 9, 10/1, 10/2 कुल किता 12 की 2.7830 है० में वादी का 1/4 हिस्सा, चक 11 जे०जी०डब्ल्यू० के खाता संख्या 144/175 के मु०नं० 124 के कि०नं० 11, 12, 19, 20, 21, 22, मु०नं० 125 के कि०नं० 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु०नं० 130 के कि०नं० 5, मु०नं० 131 के कि०नं० 1, 2 कुल किता 32 की 6.9090 है० में वादी का 1/42 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला दर्ज है जबकि उक्त खाते की भूमि में वादी का सही नाम पालाराम पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला है। अतः रोही मोजा चक 9 जे०एस०एल० के खाता सं० 122/105 के मु०नं० 225 के कि०नं० 9, 12, 13, 18, 19 कुल किता 5 की 1.265 है० में वादी के नाम 1/3 हिस्सा, चक 9 जे०एस०एल० के खाता संख्या 123/291 के मु०नं० 215 के कि०नं० 21, मु०नं० 216 के कि०नं० 25, मु०नं० 223 के कि०नं० 4 ता 7, 13 ता 18, 22, 23, 24 कुल किता 15 की 3.7950 है० में वादी का 1/6 हिस्सा, चक 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 95/86 के मु०नं० 105 के कि०नं० 10 ता 12, 19 ता 22, मु०नं० 138 के कि०नं० 1, 2, 9, 10/1, 10/2 कुल किता 12 की 2.7830 है० में वादी का 1/4 हिस्सा, चक 11 जे०जी०डब्ल्यू० के खाता संख्या 144/175 के मु०नं० 124 के कि०नं० 11, 12, 19, 20, 21, 22, मु०नं० 125 के कि०नं० 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु०नं० 130 के कि०नं० 5, मु०नं० 131 के कि०नं० 1, 2 कुल किता 32 की 6.9090 है० में वादी का 1/42 हिस्सा धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र की जगह वादी का नाम पालाराम पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S.

सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस**

प्रकरण सं० : 3/2025

पालाराम पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील बैनिवाल व प्रतिवादी राजपैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9 जे०एस०एल० के खाता सं० 122/105 के मु०नं० 225 के कि०नं० 9, 12, 13, 18, 19 कुल कित्ता 5 की 1.265 है० में वादी के नाम 1/3 हिस्सा, चक 9 जे०एस०एल० के खाता संख्या 123/291 के मु०नं० 215 के कि०नं० 21, मु०नं० 216 के कि०नं० 25, मु०नं० 223 के कि०नं० 4 ता 7, 13 ता 18, 22, 23, 24 कुल कित्ता 15 की 3.7950 है० में वादी का 1/6 हिस्सा, चक 10 जे०एस०एल० के खाता संख्या 95/86 के मु०नं० 105 के कि०नं० 10 ता 12, 19 ता 22, मु०नं० 138 के कि०नं० 1, 2, 9, 10/1, 10/2 कुल कित्ता 12 की 2.7830 है० में वादी का 1/4 हिस्सा, चक 11 जे०जी०डब्ल्यू० के खाता संख्या 144/175 के मु०नं० 124 के कि०नं० 11, 12, 19, 20, 21, 22, मु०नं० 125 के कि०नं० 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 ता 25, मु०नं० 130 के कि०नं० 5, मु०नं० 131 के कि०नं० 1, 2 कुल कित्ता 32 की 6.9090 है० में वादी का 1/42 हिस्सा धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र की जगह वादी का नाम पालाराम पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए धर्मपाल पुत्र लालचन्द्र निवासी जोगीवाला नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( कल्पित शिवरान ) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़